कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन
<u>सतपुड़ा भवन, पॉचवीं मंजिल, भोपाल</u>

क्रमांक 456/आउशि/निका/समन्वय/08 भोपाल, दिनांक 4-12-2008

प्रति

समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश ।

समस्त प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश ।

विषयः— सेमेस्टर पद्धति के लिए पुस्तकों के लिखने का कार्य ।

संचालक, हिन्दी ग्रंथ अकादमी म.प्र. भोपाल ने मुझे यह अवगत कराया है कि कतिपय विषयों के प्राध्यापक उनको आवंटित पुस्तकों को समय पर लिखकर नहीं भेज रहे हैं जो एक गम्भीर चिन्ता का विषय है ।

2. अतः इन परिस्थितियों में यह निर्णय लिया जाता है कि जिन लेखकों को पुस्तकों के लिखने का कार्य दिया गया था और अभी भी उन्होंने उसे पूर्ण नहीं किया है, उनको अगले 5 दिनों तक हिन्दी ग्रन्थ अकादमी में संचालक महोदय के व्दारा सीधे आदेश देकर बुलाया जा सकता है । इसके लिए पृथक से आयुक्त, उच्च शिक्षा की अनुमति की आवश्यकता नहीं है । 5 दिन में यह कार्य पूर्ण नहीं करने वाले शिक्षकों की सूची संचालक महोदय के व्दारा आयुक्त, उच्च शिक्षा को सौंपी जायेगी, जहां उन्हें स्पष्टीकरण देना होगा कि इतने अवसर देने के बाद भी वे पुस्तक क्यों नहीं लिख पाये तथा उन्हें सेवा के अयोग्य मानकर सेवा से पृथक क्यों नहीं किया जावे ? समस्त प्राचार्य यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन लेखकों को संचालक महोदय ने बुलाया है वे कल प्रातः 10.30 बजे तक उनके हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भवन स्थित कार्यालय में सम्पूर्ण अभिलेखों के साथ उपस्थित होंगे । अनुपस्थित रहने की दशा में यह माना जायेगा कि ये शिक्षक अपने कार्य में रुचि न लेते हैं और उनकी गोपनीय चरित्रावली में तद्नुसार प्रविष्टि की जायेगी ।

4.12.08

(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त, उच्च शिक्षा,म.प्र.

पृष्ठांकन कमांक 457/आउशि/निका/समन्वय/08 भोपाल, दिनांक 4-12- 2008

प्रतिलिपिः—

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल
2. संचालक, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल,
3. रजिस्ट्रार, समस्त विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ ।

(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त, उच्च शिक्षा,म0प्र0

जानकारी कृपया ई–मेल पर प्रेषित करने का कष्ट करें prabha.verma@mp.gov.in